न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

धारा अंतर्गत		ग्राम	तहसील
इजराय		गजपुरा	बारां
वादी	वादशीर्षक		
अशोक कुमार	बनाम	प्रतिवादी	
वकील :-		इन्द्रा बाई	

आदेश पत्रक

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17-1-23	वकील:-	
	अभिभाषक डिकीदार द्वारा इजराय न्याया0 में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। यदि इस प्रकरण में किसी अन्य अपर कोर्ट से स्थगन आदेश न हा तो मुताबिक डिकी पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 09.03.2023 को पेश हो।	
9-3-23	पीठासीन अधिकारी के उपस्थित न होने की वजह से मामला में रहने से पूर्ववत दिनांक 13-4-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
13-4-23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप0। तहसीलदार बारां से पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली इन्तजार पालना रिपोर्ट के दिनांक 25-5-23 को पेश हो।	
25-5-23	पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से मामला में रहने से पूर्ववत दिनांक 4-7-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
4-7-23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप0। तहसीलदार बारां से पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली इन्तजार पालना रिपोर्ट के दिनांक 11-8-23 को पेश हो।	
11-8-23	पीठासीन अधिकारी के उपस्थित न होने की वजह से मामला में रहने से पूर्ववत दिनांक 13-10-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
०-२५ पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत हो. 20-11-24 [signature] भार खण्ड अधिकारी भारी	
20/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील शिकायत अब। हस्तांतरण वाद से पालना तिथि बाद हुई। आज्ञप्ति की गई। हस्तांतरण वाद अंतर्गत धारा संख्या 855 दिनांक 15/3/2023 से बोला गया। प्रकाश हेतु लिया धारा के प्रकाश में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है प्रकाश हेतु लिया धारा की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद हासिल हस्तांतरित की दाखिल दफ्तर हो।	[signature] आशु भाटिया एड.